

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : PSKS/अभियान-21/डीएलबी/2021/4760-4972

दिनांक:- 28/04/2022

समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
राजस्थान।

विषय:- प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 जो दिनांक 02.05.2022 से शिविरो का पुनः आयोजन किया जा रहा है की पूर्व तैयारी हेतु।

.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जैसाकि आपको विदित है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के द्वितीय चरण के तहत शिविरो का आयोजन दिनांक 02.05.2022 से आयोजित किये जाने हेतु विभागीय स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं। इन शिविरो को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए आपसे अपेक्षा की गई है कि शिविरो की अन्तिम तैयारियों के रूप में आप द्वारा ई-मित्रों/नगर मित्रों की पूर्व बैठक कर ली गई होगी। यदि नहीं की है तो इस माह के अन्त तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया जायें। ई-मित्रों/नगर मित्रों को राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त छूट/निर्देश/परिपत्र/बुक लेट इत्यादि से अद्यतन कराना आवश्यक है। ताकि आमजन को आवेदन भरते बक्त किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई न हो और सही आवेदन भरा जा सके। साथ ही आपको पूर्व में भी निर्देशित किया गया था कि उपरोक्त सरकार द्वारा दी गई छूटों/निर्देश/परिपत्र/बुक लेट से स्वयं भी अद्यतन होवे तथा अधीनस्थ स्टाफ को भी पूर्ण प्रशिक्षित किया जावे। ताकि आमजन के कार्य को सूचारु रूप से समयबद्ध तरीके से कर उनको लाभ दिया जा सकें।

यहां यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस अभियान के सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा सांसदगण, विधायकगण, मेयर, सभापति, अध्यक्ष एवं पार्षदगणों की स्थानीय स्तर पर बैठक आयोजित की जाकर इसमें उक्त जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाकर इन्हें अभियान से संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त छूट/निर्देश/परिपत्र/बुक लेट आदि से अवगत कराते हुए इनका सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे ताकि उक्त जनप्रतिनिधिगण आम जनता को अपने स्तर से इस अभियान से जुड़ने एवं इसका लाभ लेने हेतु प्रेरित कर सकें। यह कार्यवाही स्थानीय स्तर पर शिविर आयोजित किये जाने से पूर्व सुनिश्चित कर ली जावें।


(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : PSKS/अभियान-21/डीएलबी/2021/4973-5020

दिनांक :- 28/04/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. उप निदेशक (प्रशासन), स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
8. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
9. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(नरेंद्र कुमार वर्मा)
उप निदेशक (प्रशासन)